

Date : April 15, 2023

NOTICE

(Following of Covid related SOP / Guidelines)

In-compliance of AKTU Letter (Ref : AKTU / RO / Est / 2023 / 18727 Dated : April 13, 2023)

All the concerned are required to follow the Covid 19 related SOP / Guidelines issued by competent authorities that include wearing of mask, obeying social distancing, avoid gathering (canteen / park / corridor / toilets / mess / hostel / library / bus etc.), prohibition of spitting in public areas, regularly washing / sanitizing your hands, sanitizing building and common areas / amenities and use of Aarogya Setu App etc.

NOTE : Anyone having symptoms / tested Covid positive must not come to the college. Further, all the Covid Positive personnel (whether student / staff / faculty) must report to the college authorities (through respective HOD, by Whatsapp / Email) immediately.


(Dr. Brijesh Singh)

Director

Copy for information and necessary compliance to :

1. Hon'ble Chairman / Vice-chairman
2. Dean-Academics, Dean-Students' Welfare, Dean-First Year
3. All the HODs, IQAC, Chief Proctor, Chief Warden
4. All the faculty members
5. Registrar, ERP, Website, Account Section, Transport, Hostel Warden



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स्था०/2023/18727

दिनांक: 13 अप्रैल, 2023

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान

विषय: कोविड संक्रमण की रोकथाम के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या: कोविड-19/2023/4164-54 दिनांक 12.04.2023 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.04.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि भारत के कई प्रदेशों में कोविड-19 के केसेज में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के भी कई जिलों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें जनपद लखनऊ भी सम्मिलित है। उक्त के दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(जी० पी० सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. परीक्षा नियंत्रक, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
3. उप कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
4. समस्त अधिष्ठाता, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
5. समस्त सहायक कुलसचिव/विधि अधिकारी/अवर अभियंता/जनसम्पर्क अधिकारी/समन्वयक काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
6. सुरक्षा प्रभारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय के मेन गेट से आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों/छात्र-छात्राओं तथा आगन्तुकों का थर्मल स्कैन तथा सेनेटाईज के उपरान्त ही विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाय।
7. व्यवस्थाधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
8. स्टाफ आफिसर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
9. नोटिस बोर्ड।

(जी० पी० सिंह)
कुलसचिव

कार्यालय जिला अधिकारी, लखनऊ

पत्रांक : कोविड-19/2023/4164-54

दिनांक : 12-04-2023

कार्यालय ज्ञाप


भारत के कई प्रदेशों में कोविड-19 के केसेज में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के भी कई जिलों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें जनपद लखनऊ भी सम्मिलित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निम्न सावधानियां एवं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

❖ कार्यालयों हेतु दिशा-निर्देश -

1. कार्यालयों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।
2. कार्यालयों में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
3. कार्यालयों में साफ-सफाई सुदृढ रखी जाए।
4. बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए।
5. कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
6. दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
7. सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर घर पर ही क्वारंटीन रहने एवं कोविड जाँच कराने हेतु निर्देशित किया जाए।

❖ स्कूल/कालेज हेतु दिशा-निर्देश -

1. स्कूल/कालेजों में बच्चों/विद्यार्थियों/शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. कक्षा में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए।
3. स्कूलों/कालेजों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
4. स्कूल/कालेजों में हाथ धोने के साबुन एवं पानी अथवा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
6. यदि किसी बच्चों को खॉसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल/कालेज न भेजा जाए तथा चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर उपचार प्रदान करें।



❖ चिकित्सालयों हेतु दिशा-निर्देश -

1. चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।
2. मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
3. साफ-सफाई सुदृढ रखी जाए।
4. बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए।
5. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
6. दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
7. फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।
8. पर्चा काउन्टर/जॉच काउन्टर/दवा वितरण काउन्टर पर कतार को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।
9. लक्षणयुक्त मरीजों की कोविड जॉच करायी जाए।
10. जनमानस को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए।

❖ सिनेमा हॉल/मॉल हेतु दिशा-निर्देश -

1. मॉल/मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित की जाए।
2. मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए।
3. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. ग्राहक खरीदारी करते हुए मास्क एवं दस्ताने पहने।
5. एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।

❖ रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन/एयरपोर्ट हेतु दिशा-निर्देश -

1. रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन/एयरपोर्ट आदि स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, जॉच आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
2. मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए।
3. वेटिंग एरिया में यात्रियों के बैठने की कुर्सियों पर आपस में पर्याप्त दूरी पर बैठने का प्रबन्ध किया जाए।
4. वेटिंग एरिया को एक निश्चित अंतराल पर सेनेटाइज किया जाए।
5. एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।



6. टिकट खिडकियों/बस/ट्रैन पर चढ़ने/उतरने वाली कतार को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।
7. खाने-पीने के स्थान/कैफेटेरिया/कैप्टीन आदि पर सोशल, मास्क की अनिवार्यता एवं हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

❖ जनसामान्य हेतु दिशा-निर्देश।

1. सार्वजनिक स्थलों, बाजारो, मण्डियो एवं अन्य भीडभाड वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करें तथा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करे।
2. वृद्ध एवं बच्चों को भीड भाड वाले जगहों पर ले जाने से बचा जाए।
3. कोमार्विड रोगियों (जैसे-किडनी, हृदय, लीवर, रक्त सम्बन्धी विकार, डायबिटीज, श्वसन तंत्र सम्बन्धी बीमारी) का विशेष ध्यान रखा जाए तथा जहाँ तक हो घर से बाहर निकलने से बचा जाए तथा घर पर मास्क आदि का प्रयोग किया जाए।
4. सार्वजनिक स्थलों पर न थूके एवं गंदगी न फैलाये तथा साफ-सफाई बनाये रखने में सहयोग करें।
5. अनावश्यक शारीरिक सम्पर्क जैसे हाथ मिलाने एवं गले मिलने से बचे।
6. किसी व्यक्ति से सम्पर्क होने पर साबुन से हाथ धोये अथवा अल्कोहल आधारित हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करें।
7. नाक, मुँह एवं चेहरे आदि को बार-बार छूने से बचे।
8. छीकते एवं खाँसते वक्त टिश्यू या कोहनी को मोड़कर अपना मुँह और नाक को ढक लें।
9. सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में आने से बचे।
10. कोविड के लक्षण होने पर तत्काल नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें तथा आवश्यकता पडने पर कोविड की जाँच करायें।
11. बच्चों के खिलौने एवं अन्य वस्तुओं को Sterilize करें।
12. इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
13. व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) बनाये रखे।
14. सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श पर ही औषधियों का सेवन करें।
15. सार्वजनिक स्थलों पर बार-बार प्रयोग होने वाली सतहो को छूने से बचे।
16. शारीरिक दूरी, इण्डोर मास्क का प्रयोग, शरीर के तापमान एवं आक्सीजन लेवल की निगरानी रखे।



17. शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, मास्क की अनिवार्यता, सॉशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।

18. अपने नजदीकी/सम्पर्क में आये हुए किसी भी कोविड धनात्मक रोगी की सूचना एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के दूरभाष संख्या 0522-4523000 पर अवश्य दें।

अतः समस्त सम्बन्धित से अपेक्षा है कि कोविड-19 से बचाव हेतु उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवायें।


11.4.23
जिला अधिकारी,
लखनऊ

पत्रांक : कोविड-19/2023/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, संचारी रोग एवं वी0बी0डी0, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
5. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
9. समस्त अपर जिला अधिकारी, लखनऊ।
10. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
11. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला अधिकारी/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
12. समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी।
13. समस्त अधीक्षक/अधीक्षिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनऊ।


जिला अधिकारी,
लखनऊ